हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रामपाल बनाम सरकार 136 FRA 13-12-24 आज पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। ~~प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार~~ किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद तकमील दाखिल निधि लेटर नजारत हो। सुनाया गया। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)**	

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलैक्टर मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव
(R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
52 / 2024	02 / 07 / 2024	13 / 12 / 2024

1. रामपाल पुत्र मातादीन
2. ब्रहमा देवी पत्नी रामपाल जातियान अहीर नि० श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज०

-----प्रार्थीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (लेण्ड होल्डर) मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला–अलवर प्रान्त राजस्थान ।

------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा
136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित – श्री पृथ्वीसिंह यादव

–: निर्णय :–

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, उक्त आराजी ख0न0 1150 रकबा 1.73 हैक्०, का 1/14 भाग, 1189 रकबा 0.51 हैक्०, का 1/4 भाग, 1271/1772 रकबा 0.71 हैक0, का 1/5 भाग, ख०न० 844 रकबा 1.01 हैव0, 845 रकबा 1.34 हैव0 किता 2 रकबा 2. 35 हैक्० का 1/20 भाग, वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी हाल ख०न० 1150 रकबा 1.73 हैव० वाके ग्राम श्री कृष्णनगर का 1/4 भाग दिनाक 30/11/96 को तथा आ० हाल ख0न0 1189 रकबा 0.57 हैव० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर का 1/4 भाग दिनांक 30/11/96 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था मिनवादी के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में रामपाल पुत्र मातादीन दर्ज है चूंकि मिनवादी को गांव में रामपाल व बनवारी दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है मिनवादी अनपढ व्यक्ति है बैयनामा लिखवाते समय

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रकबा 2.35 हैक्० का 1/20 भाग, वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज० के राजस्व रिकार्ड में बनवारी पुत्र मातादीन / रामपत पुत्र मातादीन के स्थान पर रामपाल पुत्र मातादीन दर्ज किया जावे तथा आ० ख० न० 1189 के राजस्व रिकार्ड में ब्रहमा देवी पत्नी रामपत दर्ज है जिसे दुरुस्त कर ब्रहमा देवी पत्नी रामपाल किये जाने के आदेश फरमाये जावे, इसी प्रकार तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रिकार्ड कर अप्रार्थीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने पटवारी हल्का से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की पटवारी ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम सही करने की अभिशंषा प्रस्तुत की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल हाल जमाबन्दी , परिवार राशन कार्ड , पहचान पत्र , आधार कार्ड आदि ग्राम पंचायत मैनपुर का प्रमाण पत्र आदि पेश किये है।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी वकील का कथन है कि हाल ख०न० 1150, 1189, 1271/1772, 844, 845 के राजस्व रिकार्ड में गांव में बोलता नाम बनवारी होने के कारण रामपाल के बजाय सहवन से बनवारी दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम सभी दस्तावेजो में रामपाल है, बनवारी सहवन से गलत दर्ज चला आ रहा है जो प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रार्थीगण/वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है काबिल दुरुस्ती है। मिन वादी नं० 1 को गांव में बनवारी व रामपाल दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है मिन वादी अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है जिसके मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड राशन कार्ड व समस्त दस्तावेजों में सदैव से रामपाल पुत्र मातादीन दर्ज है तथा कुछ हाल ख0न0 1109 ल० 1112. 1880/1114 भूमि के राजस्व रिकार्ड में भी रामपाल पुत्र मातादीन दर्ज है। लेकिन गांव में बोलता नाम बनवारी होने के कारण कुछ आराजी के राजस्व रिकार्ड में बनवारी पुत्र मातादीन दर्ज हो गया तथा आ० ख०न० 1189 रकबा 0.57 का 1/4 भाग (0.1275 हैक्०) वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर दिनाक 29/12/2008 को वादी नं0 1 ने अपनी पत्नी वादिया नं0 2 ब्रह्मा देवी पत्नी रामपाल के नाम से खरीद किया था जिसमें बैयनामा कराते समय ब्रह्मा देवी पत्नी रामपाल बताया गया तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ब्रह्मा देवी पत्नी रामपाल लिखा गया लेकिन बैयनामा का अमल करते समय राजस्व कर्मचारीयों ने ब्रह्मा देवी पत्नी रामपत दर्ज कर दिया जो गलत है मिन वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संधारित किया गया है। चूंकि प्रकरण इस धारा के अन्तर्गत संधारित होता है। क्योकि इस धारा मे पूर्व मे दर्ज इन्द्राज मे किये गयें लिपिकीय /लेखीय त्रृटियों को दुरस्त किये जाने के प्रावधान हैं। यह प्रार्थना पत्र इन नियमों में के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत आ० हाल ख० न० 1150 रकबा 1.73 हैव0, का 1/14 भाग, 1189 रकबा 0.51 हैक्०, का 1/4 भाग,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1271/1772 रकबा 0.71 हैक्०, का 1/5 भाग, ख०न० 844 रकबा 1.01 हैव0, 845 रकबा 1.34 हैक्, किता 2 रकबा 2.35 हैक्० का 1/20 भाग, वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज० के राजस्व रिकार्ड में बनवारी पुत्र मातादीन / रामपत पुत्र मातादीन के स्थान पर रामपाल पुत्र मातादीन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा आ० ख० न० 1189 के राजस्व रिकार्ड में ब्रहमा देवी पत्नी रामपत दर्ज है जिसे दुरुस्त कर ब्रहमा देवी पत्नी रामपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तदानुसार तहसीलदार मुण्डावर पालनार्थ अहकाम जारी हो।

आज दिनांक **13/12/2024** को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनीष कुमार जाटव)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)